संख्या- 651/2026/1749/22-2-2025-17(1728)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 जून, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम सिंह पुत्र श्री दुखहरन सिंह, निवासी जनपद-कुशीनगर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम सिंह पुत्र श्री दुखहरन सिंह, ग्राम-धनहा, थाना-अहिरौली बाजार, जनपद-कुशीनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीन के रंजिश को लेकर दिनांक 19.10.2001 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर झोपड़ी में आग लगाकर 03 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-137/2002, धारा-302/34, 436 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर के दण्डादेश दिनांक 14.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 25.07.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 06 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 08 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 25.07.2022 तक 56 वर्ष, 02 माह, 08 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी सिद्धदोष बन्दी प्रेम सिंह पुत्र श्री दुखहरन सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25.07.2022 तक बन्दी की 56 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध (जमीन की रंजिश में 03 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम सिंह (बन्दी संख्या-970/2010) पुत्र श्री दुखहरन सिंह, निवासी जनपद-कुशीनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 651/2026/1749(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।